



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012025-260455
CG-DL-E-24012025-260455

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2025/माघ 3, 1946

No. 432]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2025

का.आ. 436(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4750 तारीख 29/10/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंत्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में NH71 के कि.मी. 57.046 से कि.मी. 91.927 (रैभनू डिभिशनल् औफस, सुल्लुरिपेट) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "10.12.2024" को "प्रजाशक्ति" और "द हंस इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में NH71 के कि.मी. 57.046 से कि.मी. 91.927 (रेभनू डिभिशनल ऑफिस, सुल्लुरिपेट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: तिरुपति		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नैदुपेट					
गांव का नाम: मार्लापल्ली					
1	35-11	निजी	वेट	0.1618778	ओरंगम हरी कुमार 35-11
गांव का नाम: कापुलुरु					
2	137-3बी2	निजी	वेट	0.3480372	नल्लुरु सुरेश सोन ओएफ रामनैया एंड नल्लुरु विजयम्मा वाइफ ओएफ वीरास्वामी बोरवेल 137-3B2
Total				0.509915	

[फा. सं. PIU NELLORE/3a/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2025

S.O. 436(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4750 Dated:29/10/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH71 in the stretch of land from Km. 57.046 to Km. 91.927 (Revenue Divisional Office, Sulluripeta) in the district of Tirupati in the state of ANDHRA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prajasakthi” Telugu Newspaper and “The Hans India” English Newspaper both dated 10.12.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH71 in the stretch of land from Km. 57.046 to Km. 91.927 (Revenue Divisional Office, Sulluripeta) in the district of Tirupati in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Tirupati		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Naidupet					
Village: Marlapalli					
1	35-11	Private	Wet	0.1618778	Orangam Hari Kumar 35-11
Village: Kapuluru					
2	137-3B2	Private	Wet	0.3480372	Nalluru suresh son of Ramanaiah and Nalluru vijayamma wife of veeraswamy Borewell 137-3B2
Total				0.509915	

[F. No. PIU NELLORE/3a/3D]

ABHAY JAIN, Director